बिहार सरकार

<u>खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग</u>

पत्रांक - प्र07/एल0पी0जी0- 02/2010 6465 खाद्य, पटना/दिनांक- 06.10.2012

प्रेषक,

शिशिर सिन्हा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- **घरेलू एल0पी0जी0 की आपूर्ति के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.09.2012 को घरेलू एल0पी0जी0 के वितरण के सम्बन्ध में नये निदेश लागू किये गये हैं । इन निदेशों के आलोक में प्रत्येक उपभोक्ता को एक वर्ष में मात्र 6 अनुदानित मूल्य के एल0पी0जी0 रिफिल की आपूर्ति की जाएगी । वित्तीय वर्ष 2012-13 की शेष अवधि के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले सिलेण्डरों की संख्या मात्र 3 होगी । उक्त अनुदानित दर के रिफिल अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गैर अनुदानित एल0पी0जी0 रिफिल उपलब्ध कराया जाएगा ।

विभिन्न स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा नये निदेशों को जारी किये जाने के बाद कतिपय एल0पी0जी0 वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं को एल0पी0जी0 रिफिल की आपूर्ति में कोताही बरती जा रही है एवं नये निदेशों का हवाला देकर उन्हें परेशान किया जा रहा है । साथ हीं उनके द्वारा घरेलू एल0पी0जी0 की कालाबाजारी की जा रही है ।

आप अवगत हैं कि जी0एस0आर0 1 दिनांक 30.07.2005 द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त सहित 21 पदाधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में एल0पी0जी0 के स्थान, परिसर में प्रवेश, जॉच, तलाशी एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न है ।

अतएव अनुरोध है कि अपने प्रमंडल/जिले के सभी एल0पी0जी0 वितरकों के व्यापार परिसर में एक-एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं को एल0पी0जी0 की आपूर्ति में कठिनाई न हो तथा वितरकों द्वारा एल0पी0जी0 की कालाबाजारी न की जाय । घरेलू एल0पी0जी0 की आपूर्ति में अनियमितता बरतने वाले एवं कालाबाजारी में संलिप्त पाये जानेवाले एल0पी0जी0 वितरकों के विरूद्ध विधि के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाए एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

विश्वासभाजन,

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक - प्र07/एल0पी0जी0- 02/2010 6465 खाद्य, पटना/दिनांक- 06.10.2012

प्रतिलिपिः- सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव ।

D:\desktop2\note.doc

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग
1 DEC 2005
बिहार, पटना

निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1927 (श०)

(सं० पटना 413) पटना, शनिवार 30 जुलाई 2005

खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचनाएं

30 जुलाई, 2005

सं० जी० एस० आर० 1; दिनांक 30 जुलाई, 2005—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की जी० एस० आर० 487 (ई), दिनांक 26 अप्रील, 2000 द्वारा प्रकाशित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड-13 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (केन्द्रीय अधिनियम 10,1955) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल बिहार राज्य के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उक्त आदेश के कार्यान्वयन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के स्थानापरिसर में प्रवेश, जांच, तलाशी एवं जप्ती करने हेतु प्राधिकृत करते हैं—

1. सभी प्रमंडलीय आयुक्त
2. आरक्षी उप महानिरीक्षक (खाद्य)
3. सभी जिला पदाधिकारी
4. विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुमापन, पटना
5. सभी अपर समाहर्त्ता
6. सभी अपर जिला दंडाधिकारी
7. सभी प्रमंडलीय उप-निदेशक (खाद्य)
8. आरक्षी अधीक्षक (खाद्य)
9. सभी अनुमंडल दंडाधिकारी
10. सभी आरक्षी उपाधीक्षक (खाद्य)
11. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी
12. प्रभारी दंडाधिकारी (धावादस्ता) खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना
13. सभी कार्यपालक दंडाधिकारी
14. सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी

6465
6.10.12

15. उप-अनुमाजन पदाधिकारी, पटना
16. सहायक अनुमाजन पदाधिकारी, पटना
17. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी
18. सभी पणन पदाधिकारी
19. सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी
20. सरकारी निरीक्षक (खाद्य)
21. सभी आपूर्ति निरीक्षक

2. यह अधिसूचना तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा एवं तत्संबंधित पूर्व अधिसूचना/आदेश को रद्द समझा जाय

(सं० 6 गैस-01/2000)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

जी० एस० आर०-1 ए, जी० एस० आर० 1, दिनांक 30 जुलाई, 2005 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद (संलग्न) बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० 6 गैस 01/2000)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

The 30th July 2005

G.S.R. 1, dated the 30th July 2005.—In exercise of powers conferred under clause 13 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) order 2000 published by Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India *vide* G.S.R. 487(E) dated 26th April, 2000 read with essential commodities Act 1955 (Central Act, 10 of 1955) the Governor of Bihar is pleased to authorise following officers of the Bihar state to exercise the power of entry search and seizure of placepremises of Liquified Petroleum Gas within their jurisdiction and to take necessary actions for due compliance of the said order:—

1. All Divisional Commissioner
2. Dy. Inspecttor General of Police (Food)
3. All District Magistrate
4. Special Officer Rationing, Patna
5. All Additional Collector
6. All Additional District Magistrate
7. All Divisional Deputy Director (Food)
8. Superintendent of Police (Food)
9. All Sub-Divisional Magistrate
10. All Deputf Superintendent of Police (Food)
11. All District Supply Officer
12. Magistrate Incharge Flying Squad
    Food, Supply and Commerce Deptt. Bihar, Patna
13. All Executive Magistrate
14. All Assistant District Supply Offiier
15. Deputy Rationing Officer, Patna
16. Assistant Rationing Officer, Patna
17. All Block Development Officer/Circle Officer